




फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरपंच ग्राम पंचायत पीपला बनाम एस डी ओ फागी व अन्य

केस संख्या 104/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
14/07.2021	<p>दरखास्तगुजार ने उपखण्ड अधिकारी फागी विचाराधीन प्रकरण संख्या 72/2019 (43/2019 टी आई) व उनवानी काली देवी बनाम तहसीलदार फागी व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी फागी से विन्दुवार टिप्पणी तलब हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। नोटिस विपक्षीगण के रजिस्टर्ड जारी हो। पत्रावली दिनांक 05.08.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  जिला कलक्टर जयपुर </p>	
5-8-21	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी श्री गौरी शंकर शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी फागी के पीठासीन अधिकारी श्री गौरी शंकर शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  5/8/21 (अन्तर सिंह नेहरा) </p>	<p style="text-align: right;">  anant singh 5/8/21 </p>